भारत में वित्तीय समावेशन* - अब तक की यात्रा और भावी दिशा

एस. एस . मूंदड़ा

श्री संतोष कुमार गंगवारजी, सम्मानित वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष, आईबीए एवं सीएमडी, देना बैंक; श्री राजीव ऋषि, उपाध्यक्ष, आईबीए एवं सीएमडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव (डीएफएस) एवं मिशन निदेशक - वित्तीय समावेशन, भारत सरकार; कार्यशाला के प्रतिनिधिगण; देवियो एवं सज्जनो। मैं सबसे पहले ब्रिक्स मंच के तहत वित्तीय समावेशन पर इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार और आईबीए को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज मेरे लिए यह गौरव की बात है कि मुझे इस मंच में बोलने का अवसर दिया गया।

2. वित्तीय समावेशन भारत में हमारे लिए अत्यावश्यक नीति है और हमारी आर्थिक नीति में सदैव संवहनीय और समावेशी वृद्धि पर जोर दिया गया है। यद्यपि, मैं इन सुविज्ञ श्रोताजनों के समक्ष वित्तीय समावेशन के लाभ के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, फिर भी, मैं फिलाडेलफिया की गहन आईएलओ घोषणा (1944) के संबंध में आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उल्लेख है कि 'कहीं पर भी गरीबी प्रत्येक जगह समृद्धि के लिए नुकसानदायक है'। भारत में भी नीति-निर्माता अर्थात भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता के लिए गरीबी के प्रभाव को पहले ही भांप लिया था और इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि हर प्रकार से गरीबी को समाप्त किया जाए और साथ ही यह प्रयास किया गया है कि आर्थिक वृद्धि के लाभ गरीब लोगों और समाज के वंचित लोगों तक पहुंचें।

3. मैं इस मंच का उपयोग भारत में व्यापक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य, इसे पूरा करने की चुनौतियां और भावी दिशा के संबंध में हमारी यात्रा के बारे में आपको बताने के लिए करना चाहता हूँ। किंतु इस विषय पर समुचित रूप से बात करने के पहले अपने विदेशी प्रतिभागियों के लाभ हेतु मैं वित्तीय समावेशन पर हमारी परिभाषा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

'वित्तीय समावेशन सामान्यत: समाज के सभी हर वर्ग और विशेषत: कमजोर वर्ग और कम आय वाले समूहों जैसे अतिसंवदेनशील वर्ग को मुख्यधारा के संस्थागत प्रतिभागियों द्वारा उचित और पारदर्शी तरीके से वहनीय लागत पर जरूरी समुचित वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की पंहुच सुनिश्चत करने की प्रक्रिया है।'

वित्तीय समावेशन में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

4. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने का कार्य लंबे समय से कर रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयास 1960 से उस समय से किए जा रहे हैं जब जोर अर्थव्यवस्था के वंचित वर्ग और जनसंख्या के कमजोर वर्ग को ऋण देने पर था। जहां, भारत सरकार ने दो चरणों अर्थात 1969 और 1980 में कई वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय परिचालनों को राष्ट्रीयकृत किया था, वहीं रिज़र्व बैंक द्वारा भी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की उधार जरूरत के लिए लक्ष्य-निर्धारण, लीड बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी - 1975-76) की स्थापना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (1989), स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्ध कार्यक्रम (1989-90), लोकल एरिया बैंक की स्थापना इत्यादि जैसे उपाय किए गए थे जिनका उद्देश्य आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाना था।

5. यद्यपि इन उपायों से लोगों को बैंकिंग सेवाओं और ऋण प्रदान करने में काफी मदद मिली, फिर भी, इनमें कतिपय संरचनागत परिवर्तन किए गए जिससे वित्तीय समावेशन की प्रगति अवरुद्ध हुई। आपूर्ति पक्ष पर, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी अड़चन है क्योंकि इसके चलते देश के सुदूर स्थित क्षेत्रों जिसमें 600 हजार से अधिक गांव शामिल हैं, में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। प्रौद्योगिकी की सुविधा न होने के कारण लागत प्रभावी सुपुर्दगी मॉडल विकसित करना भी एक चुनौती बनी हुई है।

6. 2006 से, रिज़र्व बैंक ने सुनियोजित और संरचित दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके। रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण का जोर मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष पर रहा है। ऐसा व्यापक स्तर पर तभी संभव हो पा रहा है जब प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और बैंकिंग कार्यकलापों के भीतर इसे क्रमश: अपनाया गया है। अब मैं इन उपायों और इसके परिणामस्वरूप उपलब्धियों

* 19 सितंबर 2016 को मुबंई में वित्तीय समावेशन पर आयोजित ब्रिक्स कार्यशाला में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस. एस. मूंदड़ा द्वारा दिया गया भाषण।

की चर्चा करना चाहता हूँ।

7. बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) के ढांचे को संस्थागत रूप प्रदान करना, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढाने के प्रति किया गया एक प्रमुख उपाय रहा है। रिज़र्व बैंक ने भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सहित भौतिक शाखा संरचना की संयुक्त ढांचागत प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया था।

8. विनियामक पक्ष पर, बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी नई शाखाओं की कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें। खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानें' संबंधी जरूरत को पूरा करने में आम लोगो द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अनेक उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बात की अनुमति प्रदान की है कि वे बुनियादी सेवा बैंक खाता खोलने के लिए स्व-प्रमाणित करने को भी स्वीकार करें। रिज़र्व बैंक ने लोगों की आधार संख्या, जहां भी उपलब्ध हो, उनके द्वारा खोले गए बुनियादी बचत बैंक खाता से लिंक करके आधार समर्थित बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि उनके द्वारा पूर्व में लिए गए ऋणों अभिलेख तैयार किए जा सकें।

9. उपर्युक्त प्रयासों के क्रम में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे **बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योज**ना (एफआईपी के जरिए सर्वोच्च प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के लिए एक संरचित और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाएं। 2010-13 और 2013-16 तक एफआईपी के पहले दो चरणों का कार्यान्वयन में 2014-15 के दौरान भारत सरकार द्वारा पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन भी शामिल है जिसमें आपूर्ति पक्ष से संबंधित प्रयासों पर अतिरिक्त जोर दिया गया था।

प्रगति की एक झलक

10. यहां पर मैं कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा।

i. गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2010 के 67,694 से बढ़कर मार्च 2016 में 5,86,307 हो गई। यह बढ़ोतरी तब हो पाई जब रिज़र्व बैंक ने बीसी की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की तथा बैंक शाखाओं और बीसी दोनों के जरिए ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं को विस्तार करने की योजना तैयार की। इसके अतिरिक्त, बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी स्थानों की संख्या मार्च 2010 के 447 के बढ़कर मार्च 2016 में 1,02,552 हो गई।

ii. बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) मार्च 2010 के 73 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 469 मिलियन हो गए। इसमें से 1 जून 2016 तक केवल पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 220 मिलियन खाते खोले गएं जिसमें लगभग ₹384 बिलियन राशि थी।

iii. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 47.31 मिलियन लघु फार्म क्षेत्र के ऋण खाते और 11.3 मिलियन लघु गैर फार्म क्षेत्र के खाते थे जिनमें क्रमश: ₹5130.7 बिलियन और ₹1493.3 बिलियन राशि बकाया थी। मार्च 2010 में लघु फार्म क्षेत्र और लघु गैर फार्म क्षेत्र के ऋण खातों की संख्या क्रमश: 24.3 मिलियन और 1.4 मियिलन थी।

iv. 31 मार्च 2016 को बीसी-आईसीटी खातों में लेनदेन की कुल संख्या बढ़कर 826.81 मिलियन हो गई है जबकि 2010-11 के दौरान यह संख्या 26 मिलियन थी।

11. अधिकांश अन्य देशों के लिए ये आंकड़े काफी हो सकते हैं, तथापि, हमें अभी भी भारत में बहुत कुछ करना है और हम इसके लिए काफी गंभीर हैं। बुनियादी बैंक खातों में लेनदेन की कम मात्रा, निष्क्रिय बीसी आउटलेट, बैंकिंग सुविधाएं पहुंच में न होना, खराब कनेक्टिविटी इत्यादि जैसी अनेक चुनौतियां हैं। पिछले वर्ष, रिज़र्व बैंक ने कार्यपालक निदेशक (दीपक मोहंती) की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन के लिए मध्यावधि पथ पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसने वित्तीय समावेशन की मध्यावधि और दीर्घावधि योजना तैयार की सिफारिश की थी। समिति ने लगभग 80 कार्रवाई-योग्य सिफारिशें की है जिन पर रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है।

12. वित्तीय समावेशन के स्वरूप में अमूल-चूक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अनेक हितधारकों के एफआई प्रयासों के मिलाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने एफआई से संबंधित नीतियों की सतत समीक्षा करने; वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता में प्रगति की

[1] देश के सभी व्यक्तियों के लिए आधार एक अद्वितीय पहचानकर्ता है।

निगरानी; अध्ययन/सर्वे आयोजित करके इसके प्रभाव का मूल्यांकन और वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की तैयारी के लिए उच्च-स्तरीय अंतर-संस्थागत वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति (एफआईएसी) का पुनर्गठन किया है।

हाल में किए गए अन्य उपाय

वित्तीय समावेशन क्षेत्र में अनुमति प्रदान किए गए नए बैंकिंग प्रतिष्ठान

13. रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कई प्रतिष्ठानों को 'लघु वित्त बैंक' (एसएफबी) और 'भुगतान बैंक' के नाम से विशेषज्ञ बैंक स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। बचत के लिए माध्यम के रूप में सेवाएं देने वाली संस्थाओं के अलावा, एसएफबी और भुगतान बैंक स्थापित होने से आशा है कि क्रमश: छोटे कारोबारी इकाइयों, छोटे और अधिक छोटे किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों में ऋण आपूर्ति बढ़ेगी तथा सुरक्षित प्रौद्योगिकी से प्रेरित वातावरण में कम लागत पर प्रेषण सेवाएं उपलब्ध होंगी।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भुगतान प्रणाली की भूमिका

14. वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के बीच मजबूत संबंध होने पर विचार करते हुए रिज़र्व बैंक ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और मोबाइल वॉलेट के रूप में प्री-पेड लिखत, आधार संबद्ध भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) इत्यादि शामिल हैं।

भौतिक बैंक शाखाओं को बढ़ाना

15. जहां भौतिक और वर्चुअल तरीकों को मिलाकर सेवाएं प्रदान के जरिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में काफी सुधार हुआ है, वहीं, ऐसा विश्वास है कि समावेशन प्रयासों के बेहतर तारतम्य के लिए बीसी और भौतिक बैंक शाखाओं के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। तदनुसार, चरणबद्ध तरीके से 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकों की भौतिक शाखाएं खोलने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे बैंक न केवल गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में समक्ष होंगे, बल्कि वे अपने बीसी नेटवर्क को समय पर सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

बीसी रजिस्ट्री और सत्यापन प्रमाणन का सृजन

16. बीसी मॉडल हमारी वित्तीय समावेशन पहल का महत्वपूर्ण घटक है। हमारा विश्वास है कि बीसी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय बीसी रजिस्ट्री को विकसित करना है। यह न केवल बीसी के कार्यकलापों पर निगरानी सुनिश्चित करेगा, बल्कि इससे अंतिम ग्राहकों में अधिक विश्वास बढ़ेगा। बीसी के लिए ग्रेडेड प्रमाणन/प्रशिक्षक कार्यक्रम की योजना की भी शुरूआत की गई ताकि अच्छा निष्पादन करने वाले एवं उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त बीसी जटिल कार्य, जो जमाराशि और पैसा भेजने से परे हैं, को कर सकें।

बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन योजना (2016-19)

17. बैंकों के लिए एफआईपी लक्ष्य निर्धारित करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने की गति बनाए रखते हुए अगले तीन वर्ष अर्थात 2016-19 के लिए वित्तीय समावेशन योजना के तीसरे चरण की शुरूआत की गई है। इस तीसरे चरण के अंतर्गत जिले स्तर पर एफआईपी के तहत बैंकों द्वारा की गई प्रगति की अधिक गहन निगरानी करने पर जोर दिया गया है।

मांग पक्ष से संबंधित हस्तक्षेप

15. आपूर्ति पक्ष पर रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रगति और हाल के उपायों पर चर्चा करने के बाद अब मैं वित्तीय समावेशन के मांग पक्ष जो कि समान महत्व रखने वाला है, किंतु इस पक्ष पर जोर कम दिया है, पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि बैंकों ने रिज़र्व बैंक की पहल और पीएमजेडीवाई के तहत लगभग 440 मिलियन खाते खोले हैं और इसलिए, मांग पक्ष जिसकी क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देना है, पर जोर देने का यह बिल्कुल सही समय है ताकि लोग न केवल प्रदान की जा रही सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में हो, बल्कि वे अपनी जरूरत/पसंद के पसंदीदा उत्पादों और सेवाओं की मांग करने में सक्षम हो सकें। हमारा विश्वास है कि जब तक मांग पक्ष से संबधित किए गए उपाय पर्याप्त रूप से आपूर्ति पक्ष उपाय को पूरा नहीं करते हैं, तब तक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)/ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

19. भारत में बैंकों को वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए एफएलसी स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा समय में, पूरे भारत में लगभग 1380 एफएलसी कार्यरत हैं जिन्होंने कैंप लगाने के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अलावा, आवश्यकता आधारित कैंप पांच भिन्न-भिन्न समूहों अर्थात किसानों, छोटे उद्यमियों, एसएचजी, स्कूल के छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में मौजूदा एफएलसी का असमान वितरण, सीमित आउटरीच और बुनियादी स्तर पर वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर देने को ध्यान में रखते हुए हम बैंकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर खंड स्तर पर सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) की स्थापना करें।

20. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटी) पूरे देश में जिले स्तर पर अनेक बैंकों द्वारा स्थापित किए गए हैं। आरएसईटीआई का प्रमुख 'उद्देश्य अल्पावधि प्रशिक्षण और प्रशिक्षार्थी के लिए क्रेडिट लिंकेज सहायता सहित दीर्घावधि हैंड होल्डिंग' है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और खातों को आधार से जोड़ना

21. वित्तीय समावेशन के मांग पक्ष को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) है। इसमें निर्णायक भूमिका अदा करने की क्षमता है। यदि अनेक राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत पात्रता डीबीटी पद्धति के तहत लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाए तो इससे लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलेगा जिससे निवेश में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन ऋण लेने के लिए पूंजी में वृद्धि होगी।

अब मैं भावी उपायों पर चर्चा करना चाहूंगा।

भावी दिशा

22. मुझे लगता है कि औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जुड़ने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमें 3पी अर्थात उत्पाद (प्रॉडक्ट) प्रक्रियाओं (प्रॉसेस) और लोग (पीपल) पर जोर देने की आवश्यकता है। मैं आगे इन पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा।

ए) **उपयुक्त उत्पाद -** 'इसे लें अथवा इसे न लें' का परंपरागत दृष्टिकोण उन लोगों के लिए कारगर नहीं प्रतीत हो रहा है जो वित्तीय प्रणाली के लिए नए हैं। इनमें से अनेक लोगों की सतत आय नहीं होती है। उनकी आय सामान्यत: मौसमी होती है और इसलिए अनियमित है। साथ ही, इनमें अनेक लोगों की आय बहुत कम है और उनकी जरूरतें नियमित उपभोक्ताओं से बहुत ही भिन्न हैं। इन सभी के चलते यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक अवस्था में ग्राहकों के जीवनकाल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता केंद्रित उत्पाद तैयार किए जाएं। इसके साथ-साथ, यह भी महत्वपूर्ण है कि उपयुक्तता पर सावधानी बरतते हुए नए ग्राहकों को **वित्तीय उत्पादों की गलत-बिक्री से बचा जाए**। मैंने यह भी देखा है कि वित्तीय क्षेत्र के नए सहभागियों को अधिक उत्साह के कारण कुछ ही समय में ऋण प्रदान कर दिया जाता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हैं कि यह अधिक **उत्साह अधिक ऋण ग्रस्तता** में न परिवर्तित हो जाए। हमें निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखना है कि ये नए लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में काफी प्रयासों के बाद ही शामिल किए जाएं और यदि वे ठगे जाने/खिन्न हो जाने से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को छोड़ देते हैं तो इन्हें पुन: इसमें लाना बहुत ही कठिन होगा।

बी) **पारदर्शी प्रक्रियाएं -** अन्य चिंताजनक क्षेत्र प्रक्रियाओं में पारदर्शिता न होना है। पारदर्शिता से मेरा अभिप्राय उत्पाद, पद्धति, दस्तावेजीकरण और अन्य औपचारिकताओं जो वित्तीय लेनदेन करते समय पूरा किया जाना है, के बारे में वस्तुनिष्ठ संचार से है। पारदर्शी प्रकियाएं होने से वित्तीय प्रणाली में कहीं अधिक विश्वास होता है।

सी) **प्रतिबद्ध लोग -** उपयुक्त उत्पाद और पारदर्शी प्रक्रियाओं दोनों के साथ-साथ ऐसे प्रतिबद्ध लोग होने चाहिए जो सुनने के इच्छुक हो, उपभोक्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में ग्राहकों को स्वागत करने के लिए आगे चलने की इच्छा रखते हों।

3X3X3 मैट्रिक्स

23. मैं मानता हूँ कि यदि उपर्युक्त 3 पी लागू हो जाएं तो **3X3X3 मैट्रिक्स** पर जोर वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने और लोगों की वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। 3X3X3 मैट्रिक्स का संबंध समाज के तीन वर्गों से है जिन पर अधिक जोर देने, अधिशेष जो सृजित करते हैं, के तीन प्रकारों पर आधारित उत्पाद बनाने और तीन प्रकार की संस्थाएं जिनकी इस संबंध में केंद्रीय भूमिका है, की आवश्यकता है।

तीन वर्गीय दृष्टिकोण - ऋण लेने की क्षमता में सुधार

24. पहला, भारत में, जब हम समावेशी वृद्धि की बात करते हैं, तो यहां पर तीन ऐसे वर्ग हैं जो जिन पर विशेष ध्यान देने की मांग करते हैं i) लघु और अति लघु किसानों, साझे पर खेती करने वाले लोग, ii) सूक्ष्म और छोटे उद्योग और iii) असंगठित क्षेत्र के कम वेतन पाने वाले कामगार। सामूहिक रूप से, यह वर्ग जनसंख्या में काफी बड़ा हिस्सा रखता है जिसे अपनी वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ, यह वर्ग देश के जीडीपी और श्रम-बल में योगदान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

25. किसानों की ऋण लेने की क्षमता को भूमि सुधार करके भूमि धारिता के टुकड़े-टुकड़े के समेकन के जरिए अथवा एसएचजी प्रारूप में भूमि धारिता को एकत्र करके बढ़ाया जा सकता है। ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल, फसल न होने के प्रति व्यापक बीमा कवर और खेती में नवोन्मेशी उपायों के जरिए सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। किसानों को भंडारगृह से प्राप्त रसीद के प्रति ऋण लेने की आवधारणा के बारे में संवेदनशील बनाए जाने की भी आवश्यकता है ताकि कम कीमतों पर उत्पाद को बेचने के दबाव से बचा जा सके।

26. बड़े एमएसएमई वर्ग में मुख्यत: सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की वित्तीय क्षमताएं बढ़ाना इन उद्यमियों के लिए सहायक साबित होगा ताकि ये लोग अनौपचारिक स्रोतों से वित्त न लेकर औपचारिक स्रोतों से वित्त लें। सूक्ष्म और छोटे प्रतिष्ठान आम तौर पर ऐसे उद्यम होते हैं जिनके ऋण चुकौती स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी अथवा जानकारी नहीं होती है और इनमें वित्तीय विवरण तैयार करने की पर्याप्त विशेषज्ञ जानकारी नहीं होती है। इसलिए, इन्हें प्रासंगिक उत्पाद और नवोन्मेशी साख स्कोरिंग मॉडल प्रदान करके कम लागत पर उत्पाद उपलब्ध कराएं जाने की आवश्यकता होगी।

27. प्रशिक्षण के जरिए असंगठित क्षेत्र के कम वेतन पाने वाले लोगों की कुशलता बढ़ाना भी अत्यावश्यक हो गया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौशल विकास पहल करने से शिक्षा के कम स्तर में सुधार होगा और स्कूल छोड़ने वाले लोगों में रोजगारपरक कौशल विकसित होंगे। औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा का आभाव, हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा छोड़ने वाले लोगों की संख्या, अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता, कौशल के प्रति प्रतिकूल धारणा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी उद्योग कौशल की कमी कार्यबल में खराब कौशल स्तर के कई कारणों में एक हैं। नए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जरिए देश में उद्यमवृत्ति को बढ़ाने में सरकार द्वारा दर्शाई गई प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है।

तीन अधिशेषी दृष्टिकोण - उत्पाद और सेवाओं में उपयुक्तता

अब मैं तीन अधिशेष पर चर्चा करना चाहूंगा।

28. पहला समूह वह है जो पर्याप्त अधिशेष राशि सृजित करता है। इन लोगों को निवेश के लिए अनेक संभावनाओं के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि वे आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इनमें शेयर, म्युचुअल फंड, गोल्ड बांड इत्यादि के जरिए पूंजी बाजार में निवेश करना शामिल हैं। दूसरे वर्ग के वे लोग हैं जो मामूली अधिशेष राशि सृजित करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए आवर्ती जमा, एसआईपी इत्यादि जैसे उत्पाद अधिक उपयुक्त होते हैं। तीसरे वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जो हाल में वित्तीय प्रणाली से जुड़े होते हैं जिनके पास पर्याप्त आय होती है और वे कोई खास अधिशेष सृजित नहीं करते हैं। इस वर्ग में हमारी भूमिका उन्हें दैनिक लेनदेन के लिए बीएसबीडीए जैसे वित्तीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और पैसा भेजने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यमों को आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित करने में होती है। उसी प्रकार, भारत सरकार की पहल के अंतर्गत इस लक्ष्यित समूह को मौजूदा समय में उपलब्ध कराए जा रहे उपभोक्ता-अनुकूल बुनियादी मीयादी बीमा और पेंशन उत्पाद भी दीर्घावधि में उन्हें कुछ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में कारगार साबित हो सकते हैं।

तीन संस्थागत दृष्टिकोण - अपार अवसर

29. पहले वर्ग में ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें मैं 'मौजूदा और शामिल' संस्थाएं करना चाहूंगा। इनका संबंध उन बैंकों से हैं जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लोगों को लाने में परंपरागत रूप से अग्रेणी रहे हैं। ये 'शामिल' संस्थाओं को तीन पी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए। दूसरे वर्ग के तहत ऐसे संस्थाएं हैं जिनका संबंध 'मौजूदा' से है, किंतु संरचित तरीके से वित्तीय समावेशन की व्यापक योजना में शामिल नहीं हैं। ये एनबीएफसी और एमएफआई जैसी वित्तीय संस्थाएं हैं जिनका व्यापक स्तर पर विस्तार है और इनका लाभ उठाना चाहिए। तीसरे वर्ग के तहत नई संस्थाएं हैं जो शीघ्र ही अपना परिचालन प्रारंभ करेंगी। तीन लघु वित्त बैंकों ने पहले ही अपना परिचालन प्रारंभ कर दिया है। सात अन्य प्रतिष्ठानों के पास सैद्धांतिक अनुमोदन है। हमें विश्वास है कि वे अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए नवोन्मेशी नवीनतम प्रथाएं समर्थित प्रौद्योगिकी लाने में सक्षम होंगे। निष्कर्ष यह है कि एक संगत दृष्टिकोण तैयार किया जाना चाहिए ताकि संस्थाओं के तीसरे समूह से संबंधित क्षमता का लाभ उठाया जा सके।

समापन

30. वित्तीय समावेशन के लिए मध्यावधि पथ संबंधी समिति द्वारा परिकल्पित वित्तीय समावेशन के विजन के अनुसार, समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्ग का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2021 तक आर्थिक प्रगति में सक्रिय हितधारक बन जाएगा और औपचारिक वित्त पा रहा होगा। बहुत हद तक यह भी संभव है किंतु इसके लिए आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों के लिए केंद्रित प्रयास करने की जरूरत होगी। डिजिटल प्रौद्योगिकी की बढ़ती व्यापक गतिविधियों को ध्यान रखते हुए समाज के कम सुविधाप्राप्त वर्ग की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना अत्यावश्यक है।

31. निष्कर्षत:, मैं कहना चाहूंगा कि सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन का अपेक्षित लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है जब मुख्यधारा के वित्तीय प्रतिष्ठानों और ग्रामीण-कॉपरेटिव, एनबीएफसी, एमएफआई, क्रेडिट सोसाइटी, एनजीओ इत्यादि जैसे अनुषंगी प्रतिभागियों मिलकर प्रयास करेंगी। इनमें से सभी को वित्तीय समावेशन के कार्य को पूरा करने में संपूरक भूमिका निभानी होगी। यह वित्तीय समावेशन का खाका तैयार करने का समय है जिसमें ये सभी संस्थाओं को इस प्रकार रखा जाए जिससे कि ये अधिक कुशल तरीके से अपना योगदान दे सकें। यह वही क्षेत्र है जिस पर भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा समय पर ध्यान दे रहा है। मुझे आशा है कि हम ब्रिक्स फोरम के अन्य देशों के अनुभवों से कुछ सीख सकते हैं और उनके आधार पर कार्यनीति तैयार कर सकते हैं जैसे कि हम सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

आप सभी को धन्यवाद।